



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 349 राँची, सोमवार

6 श्रावण 1936 (श०)

28 जुलाई, 2014 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

17 जुलाई, 2014

संख्या-7/न०वि०/गठन/107/2013-3330--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-590 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा "झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014" अधिसूचित करते हैं।

2. यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 62 (1) के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पर्वद, नगर पंचायत, नगरपालिका तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए "झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014" अधिसूचित करते हैं:

अध्याय-1

(प्रारंभिक)

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-

- (1) यह नियमावली "झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014" कहलायेगी।
- (2) इसका विस्तार झारखण्ड राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में होगा।
- (3) यह नियमावली झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 (4) के प्रावधानों के अध्याधीन प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं:

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011
- (ख) "धारा" से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा,
- (ग) "विभाग या प्रशासी विभाग" से अभिप्रेत है, नगर विकास विभाग,
- (घ) "नियमावली" से अभिप्रेत है, शहरी स्थानीय निकाय के संवर्ग के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई तथा अन्य सेवा-शर्तों की नियमावली।
- (ङ) "नियुक्ति पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 57 एवं 62 (2) के तहत निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय,
- (च) "पद" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 55 (1) के तहत नगर निकायों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सृजित एवं सृजित किये जाने वाले पद,

- (छ) “नगरपालिका” से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 243 (फ) के तहत (राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित) सभी शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत/ नगरपालिका/ अधिसूचित क्षेत्र समिति)
- (ज) “नगरपालिका सेवा संवर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी का संवर्ग।
- (झ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची (Annexure)
- (ञ) “समिति” से अभिप्रेत है, शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति/ प्रोन्नति के लिए गठित समिति ।
- (ट) “आयोग” से अभिप्रेत है, नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।
- (ठ) “सीधी भर्ती या नियुक्ति” से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन गठित सेवा संवर्गों के पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति।
- (ड) “मान्यता प्राप्त संस्थान” से अभिप्रेत है, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान।
- (ढ) उन शब्दों तथा पदों के विन्यास जिनका इस नियमावली में प्रयुक्त किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं है, का वहीं अर्थ होगा, जो अधिनियम में उसके लिए प्रयुक्त होंगी।

अध्याय-2

(संवर्ग का गठन एवं संरचना)

3. झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग का गठन:
- 3.1 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग का गठन अनुसूची-1 में निहित संवर्गीय पदों पर नियुक्त एवं प्रोन्नत कर्मियों को सम्मिलित कर होगा।
4. संवर्ग की संख्या और संरचना:
- 4.1 नियम-3 के अधीन गठित संवर्गों की संख्या और संरचना का अवधारण राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और जब तक ऐसा

प्रकाशन नहीं हो जाता है, तब तक यह इस नियमावली में अथवा इसके गठन होने के ठीक पहले प्रवृत्त स्थिति में बना रहेगा।

4.2 नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग के स्वीकृत बल का पुनर्निर्धारण तथा स्थायी पदों का सृजन विधिवत् किया जा सकेगा।

5. झारखण्ड नगरपालिका संवर्गों के विभिन्न श्रेणी के पदों का वर्गीकरण तथा नियुक्ति प्राधिकार:

5.1 झारखण्ड नगरपालिका संवर्गों के विभिन्न श्रेणी के पदों का वर्गीकरण तथा नियुक्ति प्राधिकार संलग्न अनुसूची के अनुसार विहित होगा।

6. नगरपालिका नियुक्ति प्राधिकारी एवं उसका क्षेत्राधिकार:-

6.1 निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की नियुक्ति करेगा।

6.2 कर्मियों की प्रस्थिति (Status) एवं वेतन:- यद्यपि झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के तहत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की नियुक्ति निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा किया जाएगा परन्तु वे किसी भी तरह से राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मियों नहीं होंगे। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-56 (1) के तहत वे नगरपालिका के कर्मियों होंगे। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा-58 (1) एवं (2) के अध्यक्षीय संबंधित स्थानीय नगर निकाय इन कर्मियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन इत्यादि के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे। अगर शहरी स्थानीय निकाय के तहत पदस्थापित कर्मियों का वेतन भत्ता इत्यादि देने में संबंधित निकाय असफल होते हैं तो राज्य सरकार स्वविवेक से आनुपातिक आवंटन काट कर क्षतिपूर्क अनुदान के रूप में संबंधित स्थानीय नगर निकाय को मदद के तौर पर विमुक्त कर सकेगी।

6.3 सेवा में सम्मिलित पदों को अनुसूची में अन्तर्विष्ट निर्बंधनों (Restrictions) के अध्यक्षीय रहते हुए सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

परंतु यह कि विशेष परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के प्रस्ताव पर किसी शहरी स्थानीय निकाय के मामले में राज्य सरकार अपने आदेश द्वारा अनुसूची की प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगी।

6.4 प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए सचिव, नगर विकास विभाग एवं निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में अलग-अलग प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियमों के आलोक में किया जायेगा।

6.5 उक्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्गों के विभिन्न श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति पदसोपान के अनुसार अनुमान्य होगी।

7. रिक्तियों का निर्धारण एवं संसूचन:

प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर तक की कुल रिक्तियों की संख्या, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या अवधारित कर किया जायेगा तथा इसकी सूचना नियुक्ति हेतु अगले वर्ष की 31 जनवरी तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकेंगी।

8. आरक्षण:

झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले मूल पद एवं उच्चतर श्रेणी के पदों में आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार दिया जायेगा।

अध्याय-3

(सीधी भर्ती/नियुक्ति)

9. सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता:

9.1 आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी। आयु निर्धारण हेतु कट-ऑफ-डेट अधियाचना वर्ष की 01ली अगस्त को होगी।

9.2 आयु सीमा में छूट:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद् संबंधी आदेश लागू होंगे। लेकिन संविदा पर नियुक्त एवं दैनिक कर्मों को उम्र सीमा में छूट देय नहीं होगा।

9.3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- कोई व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह विभिन्न श्रेणी के पदों के अनुरूप अनुसूची में निहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न रखता हो। परीक्षा के लिए आवेदन देने के समय अंतिम तारीख को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यतः प्राप्त कर लिये हो।

10. आयोग/चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा:

10.1 विभाग/निदेशालय द्वारा अधियाचित मूल कोटि की रिक्तियों के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन निकालकर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।

10.2 झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किये जाने वाले पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा आयोजित की जायेगी।

इसी प्रकार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किये जाने वाले पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा आयोजित की जायेगी। आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

परन्तु मेधा सूची में प्रविष्टि के लिए न्यूनतम कट-ऑफ मार्क्स का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 13026 दिनांक 27 नवम्बर, 2012 एवं कालक्रम में समय समय पर निर्गत निदेशों के अध्यधीन होगा।

10.3 उपर्युक्त कंडिका 10.2 के प्रावधानों के आलोक में कुल प्राप्तियों के आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची के अनुसार आयोग/चयन आयोग नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा।

10.4 उपर्युक्त कंडिका 10.3 के क्रम में मेधा सूची तैयार करने के दौरान यदि दो अथवा दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तियों समान हो तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को आधार मानकर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

इसके उपरांत भी यदि प्राप्तियों एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

10.5 लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की जाएगी।

10.6 लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय स्वास्थ्य जाँच प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जो असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा दिया गया हो।

10.7 लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची विभागान्तर्गत प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक ही वैध रहेगी। परन्तु सक्षम न्यायालय के आदेश से मेधा सूची यदि आच्छादित होगी तो उसकी वैधता आगे तक बनी रहेगी।

10.8 नियुक्ति की अधियाचना के अनुरूप आयोग की अनुशंसा के बाद यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के अन्दर योगदान नहीं देता है, तो उस रिक्ति को अगले वर्ष के लिए अग्रणित की जायेगी।

10.9 सेवा संवर्गों के विभिन्न श्रेणी के पदों पर लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम, पूर्णांक आदि विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विहित किये जायेंगे।

अध्याय-4

(प्रोन्नति)

11. परीक्ष्यमान अवधि, प्रशिक्षण एवं सम्पुष्टि:

11.1 मूल श्रेणी के पद पर नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष तक परीक्ष्यमान की अवधि होगी। उक्त अवधि में अपेक्षित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं परीक्ष्यमान अवधि का सत्र पूरा करने के उपरान्त ही सेवा सम्पुष्टि की जायेगी।

11.2 मूल श्रेणी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तय किया जायेगा एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित किया जायेगा।

11.3 केन्द्रीय परीक्षा समिति (कर पर्षद) द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को झारखण्ड सम्पत्ति कर पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण होन पर परीक्षा में दो बार सम्मिलित होने के अवसर दिया जायेगा।

11.4 पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात् प्रथम वेतन वृद्धि हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात् अनुमान्य होगा।

12. वरीयता का निर्धारण:

12.1 आयोग/चयन आयोग द्वारा अनुशंसित एवं सीधे नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों की आपसी वरीयता मेधानुक्रम में निर्धारित होगी।

12.2 प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों की वरीयता उनकी पूर्व की पारस्परिक वरीयता के अनुसार निर्धारित होगी।

12.3 सीधी नियुक्ति वाले पदाधिकारी/कर्मचारी, जो प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारीगण के योगदान की तिथि को यदि योगदान देते हैं, तो ऐसे पदाधिकारी प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों से कनीय होंगे एवं उनकी पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उनकी मूल श्रेणी के पद पर नियुक्ति के समय प्रकाशित अंतिम वरीयता सूची के आधार पर किया जाएगा।

13. प्रोन्नति:

13.1 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्गों के विभिन्न श्रेणी में नियुक्त कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए विभाग एवं निदेशालय स्तर पर दो अलग अलग प्रोन्नति समितियों का गठन किया जायेगा।

प्रोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हताएँ पूर्ण करने पर अनुसूची में वर्णित विहित प्राधिकार द्वारा प्रोन्नति दी जायेगी।

13.2 कालावधि-

झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्गों के विभिन्न श्रेणी के पदों में प्रोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र में आने के प्रयोजनार्थ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 398 दिनांक 16 जनवरी, 2012 एवं समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि मान्य होगी।

अध्याय- 5

(विविध)

14. पदस्थापन एवं स्थानांतरण:

14.1 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्गों के विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन अपने संवर्ग में होगा।

14.2 सेवा संवर्ग में नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण सम्पूर्ण राज्य में एक निकाय से दूसरे निकाय में किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि प्रशासनिक संवर्ग, सिविल एवं यांत्रिक अभियंत्रण संवर्ग एवं विद्युत अभियंत्रण संवर्ग अन्तर्गत राजपत्रित पदाधिकारियों का पदस्थापन एवं स्थानान्तरण निदेशालय की अनुशंसा के आलोक में विभाग स्तर से किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि सभी संवर्ग के राजपत्रित पदाधिकारियों के अलावा शेष सभी संवर्ग के राजपत्रित पदाधिकारियों को छोड़कर सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के पर्सद द्वारा की गयी अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन के स्तर से किया जा सकेगा।

14.3 सामान्यतया पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक स्थान पर तीन वर्षों तक कार्यरत रहने के उपरांत ही किया जायेगा, परन्तु सरकार विशेष परिस्थिति में एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से तीन वर्ष के पूर्व भी स्थानान्तरण कर सकेगी।

14.4 विभाग एवं निदेशालय स्तर पर गठित स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में संवर्गीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों का सामान्य स्थानान्तरण एवं पदस्थापन किया जा सकेगा।

15 प्रतिनियुक्ति:

15.1 इस संवर्ग के सदस्यों को राज्य के अन्दर या बाहर पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

15.2 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्गों के विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार अन्य विभागों से आवश्यकतानुसार सेवा प्राप्त कर पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति कर सकेगी।

16. वेतन-भत्ते एवं पेंशन:

झारखण्ड नगरपालिका संवर्गों में नियुक्त कर्मियों को अनुमान्य वेतन एवं भत्ता इस नियमावली की अनुसूची में विहित एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगा।

17 अन्य सेवा शर्तें:

17.1 इस संवर्ग के लिए अन्य सेवा शर्तें, यथा-अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, वेतन, इत्यादि, जो इस नियमावली में विहित नहीं है या इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं हैं, के संबंध में राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए पूर्व से लागू प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

18. नियुक्ति प्राधिकार का नियंत्रण:

18.1 झारखण्ड नगरपालिका संवर्गों में नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी अंतिम रूप से प्रशासी विभाग, यथा - नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन होंगे।

19. अनुशासनिक कार्रवाई:

19.1 इस संवर्ग में अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ अनुसूची में यथावर्णित असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 (अंगीकृत) एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू नियम प्रभावी होंगे।

19.2 इस सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा के संबंध में स्वच्छता प्रमाण-पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत निदेशों के अध्याधीन होगा। साथ ही समय-समय पर नगर विकास विभाग के द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देश भी प्रभावी होगी।

19.3 समय-समय पर संवर्ग प्रबंधन के दृष्टिकोण से तथा निकायों के कार्य संपादन को प्रभावी बनाने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश प्रभावी होगा।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति:

20.1 इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से सभी प्रासंगिक परिपत्र/निर्णय निरसित समझे जायेंगे।

20.2 ऐसा निरसन के बावजूद इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व इस सेवा के संबंध में लिये गये निर्णयों को यह माना जायेगा कि सभी निर्णय इस नियमावली के अधीन लिये गये हैं।

20.3 राज्य सरकार प्रशासी विभाग के माध्यम से इस नियमावली के किसी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति रखती है तथा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निदेश/परिपत्र निर्गत कर सकती है और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. निर्वचन (**Interpretation**):- इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।

22. शिथिलीकरण (**Relaxation**):- इस नियमावली के उपबंधों को लागू करने के निमित्त जहाँ कहीं भी कठिनाई या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति या शर्त जो उसे न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम कर सकती है।

परन्तु, ऐसी कार्रवाई करने के पूर्व राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी, अर्थात् किसी भी नियम/शर्तों को शिथिल करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग अन्तर्गत गठित विभिन्न श्रेणी के पदों का वेतनमान, योग्यता एवं नियोक्ता सहित नियमित एवं प्रोन्नति के संवर्गीय पदों का निर्धारण:

अनुसूची-1(क)

प्रशासनिक संवर्ग

क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों के नाम	वेतनमान / पे -बैंड एवं ग्रेड- पे	स्वीकृत पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक नगर आयुक्त	PB-II -9300-34800 G.P.-5400	09	सीधी भर्ती के पद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा नियुक्ति	प्रधान सचिव / सचिव - अध्यक्ष संयुक्त सचिव - सदस्य, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जातिजनजाति के /अनुसूचित लिएनामित सदस्य, उप सचिव - सदस्य सचिव।	असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) , नियमावली, 1930
2	कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी		43				
3	उप नगर आयुक्त	P B- III- 15600-39100 G.P.. 6600	07	प्रोन्नति के प्रथम सौपान	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सभी पद सहायक नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी की प्रोनात्ति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे	तथैव	तथैव
4	अपर नगर आयुक्त	P B- III- 15600-39100 G.P.. 7600	04	प्रोन्नति के द्वितीय सौपान	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सभी पद उप नगर आयुक्त की प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे	तथैव	तथैव

अनुसूची-1(ख)
अभियंत्रण संवर्ग

क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों के नाम	वेतनमान / पे -बैंड एवं ग्रेड- पे	स्वीकृत पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति / नियुक्ति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कनीय अभियंता (सिविल एवं यात्रिक)	P. B.- II- 9300-34800 G. P.- 4200	56+01 = 57	सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल या यात्रिक में डिप्लोमा।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा 100 प्रतिशत पद पर नियुक्त किया जायेगा।	निदेशक - अध्यक्ष कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य उप निदेशक - सदस्य, सहायक निदेशक - सदस्य सचिव	बिहार, उड़ीसा असैनिक सेवा वर्गीकरण एवं) (नियंत्रण नियमावली, 1930 (अंगीकृत)
2	सहायक अभियंता (सिविल) /अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार	P. B.- II- 9300-34800 G. P.- 5400	25	नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पद सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल या यात्रिक में स्नातक।	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कुल स्वीकृत पद का 50 प्रतिशत पद कनीय अभियंता (सिविल /यांत्रिक) की प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की जायेंगी।	प्रधान सचिव/ सचिव -अध्यक्ष, संयुक्त सचिव- सदस्य, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जातिजनजाति के लिए नामित /अनुसूचित सदस्य, उप सचिव- सदस्य, अवर सचिव- सदस्य सचिव-	तथैव।
3	सहायक अभियंता (परिव		03				
4	सहायक अभियंता (यात्रिक)		04				
5	कार्यपालक अभियंता /मुख्य अभियंता के तकनीकी सलाहकार	P B- III- 15600- 39100 G.P.. 6600	15	प्रोन्नति के पद	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर 100 प्रतिशत पद प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे।	प्रधान सचिव/ सचिव -अध्यक्ष- संयुक्त सचिव -सदस्य, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के	असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 1930

						लिए नामित सदस्य, उप सचिव -सदस्य सचिव	
6	अधीक्षण अभियंता	P B- IV- 37400- 67000 G.P.. 8700	03	प्रोन्नति के पद		तथैव।	तथैव।
7	मुख्य नगर अभियंता	P B- IV- 37400- 67000 G.P.. 8900	06	प्रोन्नति के पद		तथैव।	तथैव।
8	कनीय अभियंता (विद्युत)	P. B.- II- 9300-34800 G. P.- 4200	07	सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा 100 प्रतिशत पद पर नियुक्त किया जायेगा।	निदेशक- अध्यक्ष, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक- सदस्य, सहायक निदेशक -सदस्य सचिव।-	बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील)नियमावली, 1935 (अंगीकृत)
9	सहायक अभियंता (विद्युत)	P. B.- II- 9300-34800 G. P.- 5400	03	प्रोन्नति के पद	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर 100 प्रतिशत पद प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे।	प्रधान सचिव/ सचिव - अध्यक्ष, संयुक्त सचिव - सदस्य, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य उप सचिव, -सदस्य अवर सचिव- सदस्य सचिव।-	असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 1930

अनुसूची-1 (ग)
राजस्व एवं लेखा संवर्ग

क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों के नाम	वेतनमान / पे -बैंड एवं ग्रेड- पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता /अहर्ता	स्वीकृत पदों की संख्या	नियोक्ता	प्रोन्नति / नियुक्ति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्व निरीक्षक	PB-I-5200-20200 G.P.-2400	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य / अर्थशास्त्र में स्नातक	61	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा 100 प्रतिशत पद पर नियुक्त किया जायेगा।	निदेशक- अध्यक्ष, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक- सदस्य, सहायक निदेशक - सदस्य सचिव	बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील)नियमावली, 1935 (अंगीकृत)
2	सहायक कर अधीक्षक	PB-I-5200-20200 G.P.-2800	प्रोन्नति के पद	39	निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 100 प्रतिशत पद पर राजस्व निरीक्षक की प्रोन्नति से भरे जायेंगे।	तथैव।	तथैव।
3	सहायक राजस्व पदाधिकारी (एसेस्मेंट एण्ड भैल्युएशन ऑफिसर एवं टैक्स सुपरिटेन्डेंट का पद एकीकृत)	PB-II-9300-34800 G.P.-4200	प्रोन्नति के पद	03	निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 100 प्रतिशत पद पर सहायक कर अधीक्षक की प्रोन्नति से भरे जायेंगे।	तथैव।	तथैव।
				24		तथैव।	तथैव।
				03		तथैव।	तथैव।

4	चीफ एसेसमेंट एवं भैल्युएशन पदाधिकारी	PB-II-15600-39100 G.P.-6600	प्रोन्नति के पद	03	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर 100 प्रतिशत पद पर सहायक राजस्व पदाधिकारी /एसेसमेंट एण्ड भैल्युएशन ऑफिसरटैक्स सुपरिटेन्डेंट की / प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे।	प्रधान सचिव/ सचिव - अध्यक्ष, संयुक्त सचिव - सदस्य, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य उप सचिव, -सदस्य अवर सचिव - सदस्य सचिव।	असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 1930
5	कार्यालय सहायक -सह-पाल लेखा	PB-I-5200-20200 G.P.-1900	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अर्थशास्त्र / गणित /वाणिज्य में स्नातक एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर	40	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा 100 प्रतिशत पद पर नियुक्त किया जायेगा।	निदेशक- अध्यक्ष, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक- सदस्य, सहायक निदेशक - सदस्य सचिव।	बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील)नियमावली, 1935 (अंगीकृत)
6	लेखापालकैशियर-सह-	PB-I-5200-20200 G.P.-2800	प्रोन्नति के पद	42	निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 100 प्रतिशत पद पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	तथैव।	तथैव।
7	सहायक लेखा पदाधिकारी	PB-I-9300-34800 G.P.-4200	प्रोन्नति के पद	05	निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 100 प्रतिशत पद पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	तथैव।	तथैव।

8	लेखा पदाधिकारी	PB-II-15600-39100 G.P.-5400	नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पद सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र /गणित /वाणिज्य / सांख्यिकी में स्नातक	21	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कुल स्वीकृत पद का 25 प्रतिशत पद सहायक लेखा पदाधिकारी की प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत पद झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा सिधी नियुक्ति की जायेगी।	प्रधान सचिव/ सचिव - अध्यक्ष, संयुक्त सचिव - सदस्य, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य उप सचिव, -सदस्य अवर सचिव - सदस्य सचिव।	असैनिक सेवायें (वर्गीकरणनियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 1930
9	मुख्य लेखा पदाधिकारी	PB-II-15600-39100 G.P.-6600	प्रोन्नति के पद	01	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कुल पद प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे	तथैव।	तथैव।

अनुसूची-2

क्र०	संवर्ग	परीक्षा का विहित पाठ्यक्रम
1	प्रशासनिक संवर्ग	सहायक नगर आयुक्त/ विशेष पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित संयुक्त असाैनिक सेवाएँ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समय -समय पर निर्धारित / लागू पाठ्यक्रम तथा उक्त परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी.
2	अभियंत्रण संवर्ग	1.) कनीय अभियंता (सिविल /परिवहन /यांत्रिक/विद्युत) कनीय अभियंता (सिविल , यांत्रिक , परिवहन एवं विद्युत्) की नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कनीय अभियंता संवर्ग के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु समय -समय पर निर्धारित / लागू पाठ्यक्रम तथा उक्त परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी . 2.) सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक/परिवहन/सिविल) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा असाैनिक (सिविल)/ यांत्रिक (मेकेनिकल)/ विद्युत अभियंत्रण संवर्ग के लिए आयोजित संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा एवं उक्त परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम इस संवर्ग के नियुक्ति पर लागू रहेगा तथा उक्त परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी।
3	राजस्व एवं लेखा संवर्ग	1. राजस्व निरीक्षक/ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं सहायक राजस्व पदाधिकारी के नियुक्ति हेतु समय- लागू समय पर निर्धारित/ पाठ्यक्रम तथा उक्त परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी। 2. कार्यालय सहायक -सह- लेखापाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्यालय सहायक -सह - लेखापाल की नियुक्ति हेतु समय -समय पर निर्धारित /लागू पाठ्यक्रम तथा उक्त परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी। 3.. लेखा पदाधिकारी झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित लेखा पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समय -समय पर निर्धारित / लागू / पाठ्यक्रम तथा उक्त परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 349-50 ।